न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

सुरेश कुमार पुत्र वागाराम जी, जाति–पुरोहित, निवासी–मनोरा, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) लादाराम पुत्र भीखाजी पुरोहित, जाति– पुरोहित, निवासी– मनोरा, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही

(2) ग्राम पंचायत, मनोरा जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, मनोरा, तह. व जिला– सिरोही

(3) ग्राम पंचायत, मनोरा जरिये सचिव, ग्राम पंचायत, मनोरा, तह. व जिला–सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 25/2019

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री प्रकाश धवल, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से
2. अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित, अप्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 12 अप्रेल, 2023

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा अप्रार्थी लादाराम पुत्र भीखाजी पुरोहित, जाति–पुरोहित, निवासी– मनोरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत क्षेत्रफल 2475 वर्गफीट भूमि का जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 07.9.2018 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, मनोरा से प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–1 (लादाराम) की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पुरोहित एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से भी अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पुरोहित ने अलग अलग वकालतनामें प्रस्तुत किये एवं अप्रार्थीगण की ओर से जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 (लादाराम) व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से अलग अलग लिखित जवाब भी प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 05.4.2023 को प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री धवल ने प्रार्थी की ओर से एवं अप्रार्थी संख्या–1 (लादाराम) के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने अप्रार्थी संख्या–1 (लादाराम) की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की। बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री धवल ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि कि ग्राम पंचायत, मनोरा ने अप्रार्थी लादाराम को अनुचित लाभ देने की नियत से विधि विरुद्ध पट्टा संख्या 39 दिनांक 07.9.2018 को जारी किया है। प्रश्नगत पट्टा का अवलोकन किया जाये तो उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के 50 वर्ष पुराने गृह का विनियमितिकरण का ही पट्टा जारी किया जाता है। ऐसे पट्टे जारी करने की कार्यवाही के दौरान पंचायत मौका निरीक्षण कर 50 वर्ष पुराना गृह होने के संबंध में साक्ष्य एकत्रित कर पट्टा जारी कर सकती है परन्तु उक्त प्रकरण में पंचायत के पास ऐसा कोई अभिलेख नहीं है न ही ऐसा कोई दस्तावेजी

......पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:08 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य है कि जिस भूमि पर प्रश्नगत पट्टा जारी किया है उस भूमि पर अप्रार्थी लादाराम का पुराना गृह हो। अब हस्तगत प्रकरण में यह देखना है कि क्या अप्रार्थी लादाराम का उक्त भूखण्ड पर पुराना गृह 50 वर्ष से अधिक पुराना गृह बना हुआ था इस संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पास क्या दस्तावेजी साक्ष्य है क्योंकि ग्राम पंचायत ने विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व प्रस्ताव लिया होगा तथा मौका कमेटी बनी होगी तथा मौका निरीक्षण में यह पाया गया होगा कि विवादित भूखण्ड पर अप्रार्थी लादाराम का 50 वर्ष पुराना गृह है जबकि ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पास नही होने के कारण इस न्यायालय में प्रस्तुत नही की है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अप्रार्थी लादाराम के नाम जिस भूमि पर पुराना गृह के विनियमितिकरण के आधार पर पट्टा जारी किया है उस भूमि पर अप्रार्थी लादाराम का कभी भी पुराना गृह नही रहा है व न ही कभी कब्जा रहा है उक्त भूमि पर ग्राम मनोरा के सूरज कुंवर पत्नि बलवन्त सिंह के नाम नसबन्दी निःशुल्क पट्टा जारी करने की योजना के तहत पट्टा जारी किया जा चुका है जो आज भी अस्तित्व में है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अप्रार्थी लादाराम को अविधिक लाभ पॅहुचाने के आशय से उक्त भूमि पर ग्राम मनोरा के सुरज कुंवर पत्नि बलवन्त सिंह के नाम नसबन्दी निःशुल्क पट्टा जारी करने की योजना के तहत पट्टा पट्टा जारी किये जाने के बावजूद उक्त भूखण्ड पर 50 वर्ष पुराना गृह विनियमितिकरण के तहत नियम 157(1) के तहत अप्रार्थी लादाराम के नाम से पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा जारी विवादित पट्टा की सम्पूर्ण पत्रावली प्रस्ताव मौका फर्द, मौका निरीक्षण तथा मौका निरीक्षण कमेटी की रिपोर्ट तथा पुराना गृह विनियतितिकरण का दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये जाने के लिये उक्त दस्तावेजात अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से सूचना के अधिकार के तहत चाहे थे लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थी को उक्त दस्तावेज देने से इनकार कर दिया, जबकि उक्त दस्तावेज लोक दस्तावेज है लेकिन ग्राम पंचायत, मनोरा के सरपंच व सचिव ने जानबूझ कर उक्त दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये, क्योंकि पंचायत को यह भलीभाति ज्ञात है कि उक्त पट्टा गलत जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा अप्रार्थी लादाराम के पक्ष में जारी विवादित पट्टा संख्या 39 दिनांक 07.9.2018 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरोहित ने अप्रार्थी लादाराम की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस व अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा अप्रार्थी लादाराम के पक्ष में पट्टा संख्या 39 दिनांक 07.9.2018 राजस्थान पंचायती राज नियमों के नियम 157(1) के तहत पुराने गृह का विनियमितिकरण करते हुए जारी किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 17 मई, 2017 के द्वारा नियम 157(1) में किये गये संशोधन की पालना में अप्रार्थी लादाराम का पुराना गृह बना हुआ होने से नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। यह कि वर्ष 2010–2011 में ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा श्री खेताराम पुत्र थानाजी माली के नाम से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी पट्टे में उत्तर दिशा में लादाराम पुत्र भीखाजी पुरोहित का दर्शाया है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी लादाराम पुत्र भीखाजी पुरोहित का पुराना आवासीय मकान बना हुआ है। ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 39 अप्रार्थी लादाराम के पुराने कब्जे अधिकार के आवासीय मकान का नियमानुसार बाद जांच जारी किया गया है। ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा पंचायत सामान्य बैठक दिनांक 05.10.2017 के प्रस्ताव संख्या 05 की पालना में गठित मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा दिनांक 05.1[illegible] बाद मौका निरीक्षण के रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार अप्रार्थी लादाराम के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों पर आधारित निगरानी पेश की है, प्रश्नगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:08 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज तीन पर

भूमि का पट्टा गांव के बदूसिंह उर्फ बलवन्तसिंह की पत्नि सूरज कुंवर के नाम से निःशुल्क नसबन्दी योजना के तहत जारी शुदा होने बाबत गलत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी ने ऐसी कोई प्रमाणित या असल दस्तावेजात पेश नही किया है जिससे यह साबित हो। प्रार्थी ने जिस पट्टा दिनांक 01.6.1992 का कथन निगरानी आवेदन में किया है जो सूरज कुंवर पत्नि बलवनतसिंह के नाम से है जिसका प्रार्थी से कोई सरोकार नही है, न ही प्रार्थी ने इस निगरानी आवेदन में तथाकथित पट्टाधारक या उनके वारिसान को बतौर पक्षकार ही इस निगरानी आवेदन में जोडा है, जिससे भी उक्त निगरानी आवेदन पक्षकारों के अंसयोजन से ग्रसित होने से काबिल खारिजी के है। तथाकथित पट्टा दिनांक 01.6.1992 कभी भी ग्राम पंचायत, मनोरा ने जारी नही किया है व न ही पट्टे के पृष्ट भाग पर इस तरह के कोई हस्ताख्क्षर या मोहर जारीकर्ता की लगी हुई है। तथाकथित पट्टा दिनांक 01.6.1992 एक शून्य दस्तावेज है जिससे किसी को कोई विधिक हक अधिकार सृजित नही होते है। निगरानीकर्ता तथाकथित पट्टा दिनांक 01.6.1992 की प्रमाणित प्रति पेश नही की है। यदि फर्जी व कुटरचित दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थी ने उक्त निगरानी आवेदन पेश किया है जो विधि सम्मृत नही होने से काबिज खरिजी के है। यदि यह मान लिया जाये कि तथाकथित पट्ठा दिनांक 01.6.1992 विधिवत जारी शुदा है तो भी उसकी दर्ज शर्तो की समुचित पालना नही किये जाने से उसका कोई कानूनी अस्तित्व नही है। वर्तमान में अप्रार्थी लादाराम विधिवत जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 390 दिनांक 07.9.2018 की भूमि पर स्थित आवासीय मकान में अपने परिवार सहित निवास कर गुजर बसर करता है। अप्रार्थी लादाराम ने प्रश्नगत स्थल पर व्यय कर पुराने निर्मित मकानों के साथ नयेसर पक्का निर्माण किया है। प्रश्नगत आवासीय मकानात अप्रार्थी के कब्जे अधिकार में है, जो सम्पति अप्रार्थी लादाराम के कब्जे अधिकार एवं स्वामित्व की है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा अप्रार्थी लादा पुत्र भीखाजी पुरोहित, निवासी– मनोरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने गृह का विनियमितिकरण करते हुए क्षेत्रफल 2475 वर्गफीट भूमि का पट्टा संख्या 39 दिनांक 07.9.2018 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 100/– रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये– 200/– रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन [illegible] सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की [illegible] (क) के अधीन

.... पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:08 IST
Reason: SelfAttested

कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप–खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की गई है। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत दिनांक 31.12.2016 तक संनिर्मित पुराने गृहों का विनियमितिकरण करते हुए उक्तानुसार राशि वसूल कर पट्टा जारी किया जा सकता है।

प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि ''ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा अप्रार्थी लादाराम के पक्ष में जिस भूमि पर पुराना गृह के विनियमितिकरण के आधार पर पट्टा जारी किया गया है, उस भूमि पर अप्रार्थी लादाराम का कभी भी पुराना गृह नही रहा है व न ही कभी कब्जा रहा है। उक्त भूमि पर गांव मनोरा के सूरज कुंवर पत्नि बलवन्त सिंह के नाम नसबन्दी निःशुल्क पट्टा जारी करने की योजना के तहत निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है, जो आज भी अस्तित्व में है।'' लेकिन प्रार्थी सुरेश कुमार ने निगरानी आवेदन में अंकित अपने उक्त कथन के समर्थन में सूरज कुंवर पत्नि बलवन्त सिंह, निवासी–मनोरा के नाम से जारी निःशुल्क पट्टे की प्रति नही की है। प्रकरण में ग्राम पंचायत, मनोरा से इस न्यायालय द्वारा प्रश्नगत पट्टा संख्या 39 दिनांक 07.9.2018 से संबंधित रेकर्ड व सूरज कुंवर पत्नि बलवन्त सिंह के नाम से जारी निःशुल्क पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किया जाने पर ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मनोरा ने पत्र क्रमांक/2021/03 दिनांक 06.4.2021 से प्रश्नगत पट्टा संख्या 39 दिनांक 07.9.2018 से संबंधित रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां इस न्यायालय को प्रस्तुत की है। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मनोरा ने उक्त पत्र क्रमांक/2021/03 दिनांक 06.4.2021 में यह अंकित किया है कि श्रीमती सूरज कुंवर पत्नि बलवन्त सिंह को जारी निःशुल्क पट्टे के संबंध में पंचायत में कोई रेकर्ड उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह कथन माना जाने योग्य नही है कि श्रीमती सूरज कुंवर पत्नि बलवन्त सिंह को ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का पट्टा जारी किया गया हो। प्रकरण में प्रार्थी पक्ष ने ऐसी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो कि प्रश्नगत पट्टा संख्या 39 दिनांक 07.9.2018 से संबंधित भूमि के मौके पर अप्रार्थी का दिनांक 31.12.2016 से पहले आवासीय मकान निर्मित नही हो हो। इस प्रकार, निगरानी आवेदन में अंकित कथनों को साबित करने में प्रार्थी असफल रहा है। जबकि अप्रार्थी लादाराम की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा श्री खेताराम पुत्र थानाजी माली, निवासी– मनोरा के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 29.3.20211 में अंकित चतुर्दशी में उत्तर दिशा में लादाराम पुत्र भीखाजी पुरोहित का प्लॉट होना दर्शाया है तथा ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा अप्रार्थी लादाराम पुत्र भीखाजी पुरोहित, निवासी– मनोरा के पक्ष में जारी प्रश्नगत पट्टा संख्या 39 दिनांक 07.9.2018 में अंकित चतुर्दशी में दक्षिण दिशा में श्री खेताराम पुत्र थानाजी माली, निवासी–मनोरा का मकान होना दर्शाया है। प्रकरण में अप्रार्थी लादाराम की ओर से प्रस्तुत फोटोग्राफस के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा अप्रार्थी [illegible] संख्या 39 दिनांक 07.9.2018 से संबंधित भूमि के मौके पर अप्रार्थी [illegible] का पक्का आवासीय मकान बना हुआ है। प्रकरण में ग्राम [illegible] पुत्र भीखाजी

...पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:08 IST
Reason: SelfAttested

निवासी– मनोरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 39 दिनांक 07.9.2018 से संबंधित रेकर्ड की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह तथ्य भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मनोरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों के तहत विधिवत प्रक्रिया अपनाकर अप्रार्थी लादाराम पुत्र भीखाजी पुरोहित, निवासी– मनोरा के पक्ष में पट्टा संख्या 39 दिनांक 07.9.2018 को जारी किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी सुरेश कुमार ने निगरानी आवेदन में यह स्पष्ट नही किया है कि प्रार्थी सुरेश कुमार का इस प्रकरण में क्या हित निहित है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किये जोन योग्य है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:21:08 IST
Reason: SelfAttested